

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: 13/04/2018

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक: प.4(4)साप्र / 5 / 2016 दिनांक 07.03.2018 द्वारा निम्नांकित आवंटियों को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये बजाज नगर अपार्टमेन्ट के अस्थाई आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	सुगनी देवी, नर्स ग्रेड-द्वितीय, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	-	06/2018	31.10.2047	डी-11-45, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	श्री लक्ष्मी नारायण मीना, नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	-	07/2018	30.06.2044	ई-1-53, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

राज्यपाल की आज्ञा से



(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, (विधुत वृत) जयपुर ।
5. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर ।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, / सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी / जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर ।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर ।
10. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग ।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि ।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग ।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें ।
15. रक्षित पत्रावली ।

  
उप शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग**

क्रमांक: प.4(4)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: 13/04/2018

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में विभाग के आदेश संख्या प.4(3)साप्र / 5 / 2016 दिनांक 16.03.2016 के क्रम में वरियातानुसार/पात्रतानुसार निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री सेडू राम यादव, उप वन संरक्षक(प्रशासन), आर0एफ0बी0पी02, जयपुर	7600/-	19/2018	30.06.2028	सी-26, बजाजनगर अपार्टमेंट
2.	शहला खान, लेखाधिकारी, (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	35/2018	30.04.2048	सी-11-34, बजाजनगर अपार्टमेंट
3.	श्री मयंक शुक्ला, लेखाधिकारी (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	47/2018	31.07.2045	डी-11-45, बजाजनगर अपार्टमेंट
4.	श्री हर्षवर्धन, लेखाधिकारी (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	48/2018	31.10.2047	ई-1-53, बजाजनगर अपार्टमेंट
5.	श्री पवन कुमार शर्मा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि (ग्रुप-1) विभाग	4200/-	18/2018	30.09.2031	एफ-11-69, बजाजनगर अपार्टमेंट
6.	श्री इन्देश शर्मा, नर्स ग्रेड-11, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	20/2018	31.07.2045	एफ-11-72, बजाजनगर अपार्टमेंट
7.	श्री भंवर लाल गोरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, आर 0टी0ओ0 ऑफिस, जयपुर	4200/-	21/2018	31.04.2041	एच-11-91, बजाजनगर अपार्टमेंट
8.	श्री मुकेश कुमार सैनी, नर्स ग्रेड-11, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	23/2018	31.07.2044	एच-11-95, बजाजनगर अपार्टमेंट
9.	श्रीमती दीपिका कुमार, नर्स ग्रेड-11, जे0के0 लॉन अस्पताल, जयपुर	4200/-	29/2018	30.09.2047	एच-11-90, बजाजनगर अपार्टमेंट
10.	श्रीमती आशा कुमारी यादव, नर्स ग्रेड-11, जे0के0 लॉन अस्पताल, जयपुर	4200/-	30/2018	30.09.2047	बी-एस-22, बजाजनगर अपार्टमेंट
11.	श्रीमती अनिता बाई मीना, नर्स ग्रेड-11, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4200/-	34/2018	30.06.2048	जी-78, बजाजनगर अपार्टमेंट

**उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होंगी :-**

- आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

- P. T. G. -

3. सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र।
4. गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवंटित आवास का किराया प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को जमा कराना होगा।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

ED

(गौरव बजाड़)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, (विधुत वृत्त) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष.....
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, उप शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र वेबसाइट पर डालें।
15. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव